संख्या-1145/2026/751/22-2-2026-17(1116)/2022

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 01 सितम्बर,2026

विषयः- जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सदाकत पुत्र श्री फिरासत, निवासी जनपद-अमरोहा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 23-02-2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी सदाकत पुत्र श्री फिरासत, जो ग्राम-सलारपुर खालसा, थाना-रजबपुर, जनपद-अमरोहा का निवासी है। बन्दी द्वारा पुरानी दुश्मनी के कारण दिनांक-16.03.2000 को 12 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाकर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-156/2000, भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश, जे०पी०नगर (अमरोहा) दण्डादेश दिनाक 14.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.11.2006 द्वारा बन्दी की अपील निर्णित करते हुए मा० सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.09.2025 तक अपरिहार 22 वर्ष, 07 माह, 24 दिन तथा सपरिहार 29 वर्ष, 00 माह 13 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस अधीक्षक, अमरोहा द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा कारित अपराध हत्या जैसे संगीन अपराध की श्रेणी में आता है जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये जाने, भविष्य में अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, पुनः अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा सामान्य होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा पुलिस अधीक्षक, अमरोहा की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समवपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 22.09.2025 तक बन्दी की आयु 56 वर्ष, 04 माह बन्दी द्वारा कारित अपराध एवं प्रकृति (04 व्यक्तियों की हत्या किये जाने), बन्दी की स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने तथा पुलिस अधीक्षक/ जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा समयपूर्व रिहाई की सस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सदाकत (बन्दी संख्या-4231/2005) पुत्र श्री फिरासत, निवासी जनपद-अमरोहा की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1145/2026/751(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।